

(रा.प्र. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवाणा पिला बलोतरा  
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम खेजडियाली की जमाबन्दी सम्वत् 2072-80 के खाता संख्या 154 में मेरा/हमारे नाम अजयकिंद पुत्र वीरमकिंद आति - दरोजा

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम अजयकिंद पुत्र विरमकिंद आति - रावणा राजपूत है।


अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

  
हरस्ताक्षर प्राथी/प्राथीगण


रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

समस्त ईस्तामेज श्री धर्मा अजयकिंद पुत्र विरमकिंद की आति दरोजा के बजाय रावणा राजपूत पुत्र की अनुज्ञा की जाती है।

  
16-10-25  
TLR अजय

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

  
तहसीलदार समदडी

acms - 2025/583

आदेश

क्रमांक / 1667 / 2025/


दिनांक 16-10-2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम खेजडियाली की जमाबन्दी संवत् 2072-80 के खाता संख्या 154 में अजयकिंद पुत्र वीरमकिंद आति - दरोजा के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

अजयकिंद पुत्र विरमकिंद आति - रावणा राजपूत

की जाती है तदनुसार दरामद की कार्यवाही की जावे ।



  
उपखण्ड अधिकारी सिवाणा  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाणा (बलोतरा)